

स्वराज अभियान - (द्वितीय)

बनाम

भारत संघ एवं अन्य।

(रिट याचिका (सिविल) सं. 857/2015)

13 मई, 2016

[मदन बी. लोकर और एन.वी.रमना जे.जे.]

जनहित याचिका - सुखे से प्रभावित व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा - देश के कुछ हिस्सों में सुखा या सुखे जैसी स्थितियां व्याप्त हैं- राष्ट्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम की निगरानी और कार्यान्वयन - उक्त व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता - कुछ राज्यों द्वारा अधिनियम का कार्यान्वयन न किया जाना - माना : इस न्यायालय द्वारा राज्य सरकारों को एनएफएस अधिनियम को लागू करने के लिए कानून के नियमों और प्रावधानों से परे कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता - यह न्यायालय राज्य को एनएफएस अधिनियम के प्रावधानों को ईमानदारी से लागू करने का निर्देश दे सकता है - जरूरत मन्द लोगों को खाद्य तेल व दाल उपलब्ध कराने का कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता - यह राज्य पर वैधानिक या संवैधानिक दायित्व नहीं है - खाद्य तेल व दाल के बिना सुखा प्रभावित क्षेत्र में लोगों के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत

प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है - यद्यपि अनुच्छेद 47 जो राज्य को लोगों का पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने का निर्देश देता है, एक निदेशक सिद्धान्त होने के कारण प्रवर्तनीय नहीं है फिर भी इस प्रावधान में राज्य सरकारों व भारत सरकार को राजी कर सुनिश्चित करने का प्रयास करने के लिए पर्याप्त नैतिक बल और अधिकार है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को खाद्यान्न और भोजन की तैयारी के लिए एक खाना बनाने का पर्याप्त माध्यम उपलब्ध कराया जाए - एनएफएस अधिनियम के कई प्रावधानों को लागू करने के लिए तंत्र स्थापित या गठित नहीं किया गया है - अब समय आ गया है कि एनएफएस के अधीन मशीनियरी को स्थापित किया जावे अन्यथा सामाजिक कानून के अधिनियमन का कोई मतलब नहीं होगा - उसके मध्यनजर, इस न्यायालय द्वारा कानून के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जारी दिशा निर्देश - प्रत्येक राज्यों को एक आंतरिक शिकायत तंत्र स्थापित करना होगा और प्रत्येक जिले के लिए शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति या पदनाम करेगा - राज्य एनएफएस अधिनियम के कार्यान्वयन कि निगरानी और समीक्षा करने के उद्देश्य से एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगा जिन राज्यों में सूखा घोषित किया गया है या भविष्य में घोषित किया जा सकता है वहां सभी परिवारों को एनएफएस अधिनियम के अनुसार खाद्यान्न की मासिक पात्रता प्रदान की जानी चाहिए भले ही वे प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणी में आते हों या नहीं या फिर उनके पास राशन कार्ड है या नहीं -

बिहार हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों के लिए अंडे या दूध या किसी अन्य पोषण विकल्प की आपूर्ति के लिए पर्याप्त प्रावधान करना होगा - भारत का संविधान अनुच्छेद 32, 21, 47 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 - धारा 2(14), 10, 14,15,16

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 - कार्यान्वयन - माना: भारत संघ आमतौर पर कार्यान्वयन मशीनरी स्थापित किए बिना एक कानून लागू कर देता है - एनएफएस अधिनियम के कई प्रावधानों को लागू करने के लिए तंत्र स्थापित या गठित नहीं किया गया है। यह पूरी तरह से अजीब है - निष्पादन में देरी कुछ राज्य सरकारों को इसे आसानी से लेने और कानून को सुविधा के अनुसार लागू करने में सक्षम बनाती है।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम उम्मेद राम शर्मा (1986) 2 एससीसी 68 : 1986 (1) एससीआर 251; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम एच.पी. का उच्च न्यायालय (2000) 10 एससीसी 646 उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चोफल (2010) 3 एससीसी 402 : 2010(1) एससीआर 678; नगर परिषद, रतलाम बनाम वर्दिचन (1980)4 एससीसी 162: 1981 (1) एससीआर 97; खत्री(2) बनाम बिहार राज्य (1981) 1 एससीसी 627: 1981 (2) एससीआर 408;पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1996)4 एससीसी 37: 1996(2) पूरक एससीआर 331;

शांतिस्टार बिल्डर्स बनाम नारायण खिमलाल टोटेम (1990)1 एससीसी 520
- संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

1986 (1) एससीआर 251-	का हवाला दिया गया	पैरा 14
2000 (10) एससीआर 646	का हवाला दिया गया	पैरा 16
2010 (1) एससीआर 678	का हवाला दिया गया	पैरा 18
1981 (1) एससीआर 97	को संदर्भित करता है	पैरा 24
1981 (2) एससीआर 408	को संदर्भित किया गया	पैरा 25
1996 (2) सप्ल. एससीआर 331	को संदर्भित करता है	पैरा 26
(1990) 1 एससीसी 520	को संदर्भित करता है	पैरा 26

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (सिविल) संख्या 2015 का
857

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

प्रशांत भूषण, रोहित क्र. सिंह, गोविंद जी, ओ. कुट्टन, अधिवक्ता,
याचिकाकर्ता के लिए.

पी.एस. नरसिम्हा, तुषार मेहता, एएसजी, अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ वकील, अनिल ग़ोवर, इरशाद अहमद, एएजी, मुकुल सिंह, इरहान जॉर्ज, अजय शर्मा, श्रीधर पोतराजू, बी.के. सतीजा, नीरज कुमार शर्मा, गुंटूर प्रभाकर, सुश्री प्रेरणा सिंह, गोपाल सिंह, मनीष कुमार, ए.पी. मायी, सुश्री शशि जुनेजा, ए. सेल्विन राजा, सुश्री हेमन्तिका वाही, कबीर हाथी, सुश्री पूजा सिंह, सुश्री नूपुर सिंघल, मनन, डॉ. मोनिका गुसाई, तपेश कुमार सिंह, कुमार अनुराग सिंह, मो. वक्रवास, शशांक सिंह, वी. एन. रघुपति, सी. डी. सिंह, सुश्री सिलोना महापात्रा, उदित अरोड़ा, निशांत आर कटनेश्वरकर, सिबो शंकर मिश्रा, उमाकांत मिश्रा, एस उदय कुमार सागर, कृष्ण कुमार सिंह, उपेन्द्र मिश्रा, विनय गर्ग, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय, न्यायधीश मदन बी. लोकर, जे. द्वारा पारित किया गया :-

1. 11 मई, 2016 के अपने फैसले में हमने देश के कई हिस्सों में व्याप्त सूखे या सूखे जैसी स्थितियों की ओर ध्यान दिलाया था और अनुपालन के लिए कुछ निर्देश जारी किए थे। इस फैसले में, हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (संक्षेप में 'एनएफएस अधिनियम') के कार्यान्वयन से संबंधित याचिकाकर्ता स्वराज अभियान द्वारा की गई प्रार्थना से निपटेंगे।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन

2. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सूखे से प्रभावित व्यक्तियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने चार सुझाव दिए और वे हैं:

(I) सभी परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना चाहिए, भले ही वे एनएफएस अधिनियम की धारा 10 के साथ पठित धारा 2(14) में परिभाषित प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणी में आते हों या नहीं। खाद्यान्न का प्रावधान किसी अन्य सरकारी योजना में किसी अन्य पात्रता के अल्पीकरण नहीं बल्कि अतिरिक्त होना चाहिए।

(II) जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है या मौजूदा राशन कार्डों से वंचित परिवार के सदस्यों को उचित पहचान पत्र या निवास का कोई अन्य प्रमाण प्रस्तुत करने पर विशेष और अस्थायी कूपन जारी किए जाने चाहिए।

(III) सूखे से प्रभावित प्रत्येक परिवार को 30 रुपये प्रति किलो 2 किलो दाल प्रतिमाह और 25 रुपये प्रति लीटर से एक लीटर खाद्य तेल प्रति माह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराना चाहिए। इस संबंध में एक ऐसी ही योजना का जिक्र किया गया जिसके बारे में कहा जाता है कि यह तमिलनाडु में काफी अच्छा काम कर रही है।

(IV) सूखे से प्रभावित बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्रतिदिन एक अंडा या 200 ग्राम दूध (सप्ताह में 6 दिन) उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके अलावा, स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों की अवधि के दौरान मध्याह्न भोजन योजना जारी रहनी चाहिए ताकि बच्चे अंडे या दूध सहित अपने भोजन से वंचित न रहें, जैसा भी मामला हो।

3. भारत संघ ने अपने जवाब में बताया है कि एनएफएस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, 'प्राथमिकता' श्रेणी के तहत पात्र परिवारों के लिए खाद्यान्न की मासिक पात्रता 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति और अंत्योदय अन्न योजना के तहत चावल गेहूँ और मोटे अनाज के लिए प्रति परिवार 35 किलोग्राम है। एनएफएस अधिनियम के तहत कवरेज को गरीबी अनुमान से अलग कर दिया गया है और यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत से काफी ऊपर है। यह प्रस्तुत किया गया है कि एनएफएस अधिनियम के तहत कवरेज प्रत्येक राज्य द्वारा निर्धारित किया जाना है और प्राथमिकता वाले घरों की पहचान के मानदंड और उनकी वास्तविक पहचान राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आगे कहा गया है कि राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह लाभार्थी डेटाबेस का डिजिटलीकरण करेगी और एक 'शिकायत निवारण तंत्र' भी स्थापित करेगी।

4. एनएफएस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए, राज्य सरकार को सभी प्रारंभिक चरणों को पूरा करना आवश्यक है जिसके लिए भारत

सरकार द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इस संदर्भ में, यह कहा गया है कि एनएफएस अधिनियम का कार्यान्वयन 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो गया है और जहां तक गुजरात का सवाल है, यह 1 अप्रैल 2016 से एनएफएस अधिनियम को लागू करेगा। सुनवाई के दौरान, हमें सूचित किया गया कि शुक्र है कि गुजरात अब एनएफएस अधिनियम लागू कर रहा है।

5. यह भी कहा गया है कि चूंकि सूखा एक अस्थायी घटना है, इसलिए राज्य सरकार से अनुरोध के आधार पर अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। आगे कहा गया है कि 2015-16 के लिए, केवल महाराष्ट्र ने सूखा प्रभावित लोगों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन का अनुरोध किया और भारत सरकार ने अनुरोध के अनुसार 1.63 लाख टन चावल और 2.44 लाख टन गेहूं उपलब्ध कराया।

6. दाल/दाल और खाद्य तेलों की आपूर्ति के संबंध में, भारत संघ द्वारा कहा गया है कि एनएफएस अधिनियम के तहत इन वस्तुओं की आपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है। इन वस्तुओं की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता के अभाव में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करना मुश्किल है और दाल/दाल और खाद्य तेलों की आपूर्ति को शामिल करके खाद्य सब्सिडी बिल को बढ़ाने में वित्तीय बाधाएं हैं। हालाँकि, राज्य सरकारें अपने संसाधनों से अतिरिक्त वस्तुएँ वितरित करने के लिए स्वतंत्र

हैं। वास्तव में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक और तेलंगाना समाज के वर्गों को दाल/दाल या खाद्य तेल वितरित कर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों में चना वितरित कर रहा है।

7. मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में, भारत संघ द्वारा कहा गया है कि अंडे या दूध की आपूर्ति के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, लेकिन न्यूनतम कैलोरी और पोषण सामग्री की आवश्यकता है। ये इस प्रकार हैं:-

घटक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
कैलोरी	450 कैलोरी	700 कैलोरी
प्रोटीन	12 ग्राम	20 ग्राम
सूक्ष्मपोषक तत्व	पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन ए आदि	

8. भारत संघ द्वारा आगे कहा गया है कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत मेनू स्थानीय रूप से तय किया जाता है और जिन 12 राज्यों से हमारा संबंध है, उनमें से केवल 5 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना मध्याह्न भोजन योजना के तहत अंडे या दूध उपलब्ध कराता है। स्वराज अभियान के अनुसार, चना (उदाहरण के लिए) जैसी अतिरिक्त या विभिन्न वस्तुएँ 4 अन्य राज्यों, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र द्वारा प्रदान की जाती हैं। स्वीकृत रूप से 3 राज्यों

यानी बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश द्वारा न तो अंडे, न ही दूध और न ही कोई अन्य अतिरिक्त वस्तु उपलब्ध कराई जाती है।

9. सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान मध्याह्न भोजन योजना जारी रखने के संबंध में, भारत संघ का कहना है कि जिन राज्यों से हम सम्बंधित है, उनमें से केवल 3, अर्थात् कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने 2015-16 के दौरान एेसा एक प्रस्ताव दिया था और उसे प्रदर्शन मूल्यांकन बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। जहां तक 2016-17 का सवाल है, केवल छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश ने अनुरोध किया है और वह प्रदर्शन मूल्यांकन बोर्ड द्वारा विचाराधीन है।

10. एनएफएस अधिनियम की धारा 16 के तहत एनएफएस अधिनियम की निगरानी और कार्यान्वयन वास्तव में राज्य खाद्य आयोग का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। हमें बताया गया है कि प्रत्येक राज्य ने ऐसे आयोग की स्थापना नहीं की है जिससे एनएफएस अधिनियम की समीक्षा और कार्यान्वयन के संबंध में कोई भी सुधारात्मक या उपचारात्मक उपाय करना मुश्किल हो गया है। अब समय आ गया है कि एनएफएस अधिनियम के तहत मशीनरी को सभी संबंधित पक्षों द्वारा स्थापित किया जाए अन्यथा सामाजिक न्याय कानूनों के अधिनियमन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।

चर्चा और निष्कर्ष

11. हम काफी आश्चर्यचकित हैं कि एनएफएस अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में, भले ही यह कानून संसद द्वारा पारित किया गया था और यह पूरे भारत में लागू होता है और 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ माना जाता है, कुछ राज्यों ने इसे क्रियान्वित नहीं किया है। नोट में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए चार्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य ने एनएफएस अधिनियम को आंशिक रूप से इस अर्थ में लागू किया है कि इसे इसके 75 जिलों में से केवल 28 में लागू किया गया है। गुजरात ने स्वीकृत रूप से एनएफएस अधिनियम को 1 अप्रैल 2016 से ही लागू किया है।

12. यह आश्चर्य की बात है कि एनएफएस अधिनियम जैसे संसद द्वारा अधिनियमित कानून का कार्यान्वयन राज्य सरकारों की सनक और इच्छा पर छोड़ दिया गया है, और एनएफएस अधिनियम लागू होने के बाद गुजरात काे इसे लागू करने में दो साल से अधिक का समय लगा है और उत्तर प्रदेश ने इसे आंशिक रूप से ही लागू किया है। यह काफी अजीब है। एक राज्य सरकार, संसद द्वारा पारित और भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कानून के कार्यान्वयन में देरी करके, प्रभावी रूप से इसे लागू करने से इनकार कर रही है और संसद मूकदर्शक बनी हुई है। क्या हमारा संविधान ऐसी स्थिति का सामना करता है? क्या यही 'संघवाद' है? किसी राज्य सरकार द्वारा संसदीय कानून के कार्यान्वयन में जानबूझकर की गई

निष्क्रियता केवल पूरी तरह से अराजकता या इससे भी बदतर स्थिति पैदा कर सकती है। कोई शायद ही कल्पना कर सकता है कि यदि इसी तर्क पर एक राज्य सरकार यह निर्णय लेती है कि वह समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए बने अन्य संसदीय कानूनों को लागू नहीं करेगी तो परिणाम क्या होगा। उम्मीद है, किसी को, कहीं न कहीं, कभी न कभी संभावित खतरनाक परिणामों का एहसास होगा।

13. हम विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की दलील में बल पाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा राज्य सरकारों को एनएफएस अधिनियम को लागू करने के लिए कानून के नियमों और प्रावधानों से परे कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, हमारे लिए यह संभव नहीं है कि हम राज्य सरकारों को एनएफएस अधिनियम द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के सभी परिवारों को अनिवार्य किए गए सामान से अधिक किसी भी वस्तु, जैसे दाल/दाल और खाद्य तेल (या उस मामले के लिए कोई अन्य वस्तु) को जरूरतमंद व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के लिए सकारात्मक निर्देश जारी करें। आज, स्वराज अभियान दाल/दाल और खाद्य तेलों की आपूर्ति के लिए प्रार्थना करता है; कल कोई अन्य एनजीओ कुछ अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकता है। यह एक अंतहीन प्रक्रिया बन सकती है और इसके लिए हमें संसद द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों से आगे जाने की आवश्यकता होगी। हालाँकि यह न्यायालय या

कोई अन्य संवैधानिक न्यायालय निश्चित रूप से शासन के मुद्दों में एक सीमित सीमा तक हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन उसे शासन के कुछ क्षेत्रों में न्यायिक संयम भी दिखाना होगा, और यह उनमें से एक है।

14. हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम उम्मेद राम शर्मा [(1986) 2 एससीसी 68] में उच्च न्यायालय ने एक गांव के कुछ गरीब और ज्यादातर हरिजन निवासियों से प्राप्त एक पत्र को जनहित याचिका के रूप में माना था, जिसमें दूसरे गांव के निवासियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के कारण राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण पूरा करने में विफल रहने की शिकायत की गई थी। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई की और अन्य बातों के साथ-साथ सड़क को जल्द पूरा करने के निर्देश दिये। इसे राज्य द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 का सहारा लिया और कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के लिए, सड़कों तक पहुंच स्वयं जीवन तक पहुंच है। इस न्यायालय ने कहा:

“हिमाचल प्रदेश का पूरा राज्य पहाड़ियों में है और व्यावहारिक सड़कों के बिना, कोई संचार संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन का अधिकार है और इस मामले के तथ्यों को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) के साथ जोड़कर और संविधान के

अनुच्छेद 38(2) की पृष्ठभूमि में पढ़ा जावे तो प्रत्येक व्यक्ति को अनुच्छेद 19(1)(डी) के तहत भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है और उसे अनुच्छेद 21 के तहत अपने जीवन का भी अधिकार है और अनुच्छेद 21 के तहत यह अधिकार न केवल जीवन के भौतिक अस्तित्व को बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी शामिल करता है और पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के लिए, सड़क तक पहुंच ही जीवन तक पहुंच है। ये प्रस्ताव अच्छी तरह से तयशुदा हैं। हमारी संवैधानिक अनिवार्यताओं के मद्देनजर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं कि उचित परिस्थितियों में संचार के लिए रास्ता होना चाहिए और उस अधिकार से इनकार करना संविधान के दायरे में उसकी समृद्धि और पूर्णता में समझे जाने वाले जीवन से इनकार होगा। जहां तक संभव हो पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को संचार के लिए सड़कें उपलब्ध कराना समाज का संवैधानिक दायित्व है।”

15. संविधान के अनुच्छेद 38(2) का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने कहा कि “पहाड़ीवासियों के लिए जीवन तक पहुंच राज्य का दायित्व

होना चाहिए, लेकिन प्राथमिकता के साथ साथ तात्कालिकता का निर्धारण करना मुख्य रूप से विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है।”

“धन का आवंटन किया गया था और “अदालत ने कार्यपालिका को निर्देश दिया है कि प्राथमिकताओं को सक्षम अधिकारियों के विवेक पर छोड़ कर अगर सड़कों के लिए स्वीकृत व्यय में से कुछ पुनर्वितरण संभव है तो इसे विधायिका के ध्यान में लाया जाए।”

16. हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय[(2000) 10 एससीसी 646] में उच्च न्यायालय ने एक अखबार की रिपोर्ट पर कार्रवाई की और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एक निश्चित सड़क के निर्माण का निर्देश दिया और राज्य सरकार को इस उद्देश्य के लिए धन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस न्यायालय को उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखना बेहद कठिन लगा। दो प्रमुख कारण दिए गए: पहला, यह राज्य सरकार पर है कि वह अपनी प्राथमिकताएँ निर्धारित करे और धन आवंटित करे, भले ही संचार नेटवर्क बिछाना आवश्यक हो; दूसरा, आवश्यकता धन की उपलब्धता पर ही पूरी हो सकती है। “इस प्रकृति के किसी भी हस्तक्षेप के लिए प्राथमिक आवश्यकताओं के आधार पर सावधानीपूर्वक आवंटित धन के विचलन की आवश्यकता होगी

और इससे राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए विकास कार्यक्रम में बाधा आएगी।"

17. वित्तीय मुद्दों और वित्त की प्राथमिकता से जुड़े मामलों में, इस न्यायालय को राज्य द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को स्थगित करना चाहिए, जब तक कि कोई वैधानिक दायित्व न हो जिसे राज्य द्वारा पूरा करने की आवश्यकता हो। यही कारण है कि सड़कों के निर्माण के मामले में (उदाहरण के लिए) इस न्यायालय ने प्राथमिकता राज्य पर छोड़ दी है।

18. उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल [2010] 3 एससीसी402] में इस न्यायालय ने कहा कि भारत में जनहित याचिका तीन चरणों से गुज़री है। ये हैं:

चरण I - यह इस न्यायालय के मामलों से संबंधित है जहां मुख्य रूप से समाज के हाशिए पर रहने वाले समूहों और वर्गों के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देश और आदेश पारित किए गए थे, जो अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा और अज्ञानता के कारण इस न्यायालय या उच्च न्यायालयों से संपर्क नहीं कर सकते हैं।

इस चरण के दौरान, अदालतों ने लोकस स्टैंडी के पारंपरिक नियम में ढील दी और पीड़ित व्यक्तियों की परिभाषा को व्यापक बनाया और समाज के

हाशिए पर, वंचित और गरीब वर्गों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए निर्देश और आदेश दिए।

चरण II - यह पारिस्थितिकी, पर्यावरण, वन, समुद्री जीवन, वन्य जीवन, पहाड़ों, नदियों, ऐतिहासिक स्मारकों आदि की सुरक्षा, संरक्षण से संबंधित मामलों से संबंधित है। इसे शायद ही किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। यह न्यायालय पर्यावरण, वनों और ऐतिहासिक आंदोलनों सहित अन्य मुद्दों पर अग्रणी रहा है। इस संबंध में इस न्यायालय के कई निर्णय हैं।

तृतीय चरण.- यह शासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और अखंडता बनाए रखने के लिए न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों से संबंधित है।

तीसरे चरण में, संवैधानिक अदालतों ने "जनहित याचिका के दायरे को बढ़ाया और यह सुनिश्चित करने के लिए याचिकाओं पर भी विचार किया कि राज्य के शासन में पारदर्शिता हो और सार्वजनिक हित को छोड़कर किसी भी बाहरी विचार पर ध्यान नहीं दिया जाए।"

19. जहां तक वर्तमान मामले का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एनएफएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खाद्यान्न का प्रावधान राज्य पर एक वैधानिक दायित्व है। यह न्यायालय निश्चित रूप से राज्य को एनएफएस अधिनियम के प्रावधानों को ईमानदारी से लागू करने का

निर्देश दे सकता है। दुर्भाग्य से, संकट में फंसे लोगों को खाद्य तेल और दाल/दाल उपलब्ध कराने के लिए राज्य पर कोई वैधानिक या संवैधानिक दायित्व नहीं है। यदि ये वस्तुएँ लोगों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होतीं, तो यह न्यायालय निश्चित रूप से उनके वितरण का निर्देश देता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह कहे कि खाद्य तेलों और दाल/दाल के बिना सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। इसलिए हम तर्कसंगत रूप से संविधान या कानून में कुछ ऐसा नहीं पढ़ सकते जो वहां नहीं है। इसके अलावा, हालांकि प्रभावित परिवारों की संख्या हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इस तथ्य को देखते हुए कि देश के विशाल क्षेत्रों में सूखा घोषित कर दिया गया है, हम केवल यह मान सकते हैं कि संख्या काफी होगी। एक रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार भी, 33 करोड़ से अधिक लोग अलग-अलग स्तर के संकट और तीव्रता के साथ सूखे से प्रभावित हैं। स्वराज अभियान का अनुमान है कि लगभग 40 करोड़ से 50 करोड़ से अधिक लोग सूखे से प्रभावित होंगे। इस संबंध में हम बस इतना ही कह सकते हैं और कहते हैं कि देश की कम से कम एक-चौथाई आबादी (यदि एक-तिहाई नहीं तो) सूखे से प्रभावित है और राज्य सरकारों को कम से कम देश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को खाद्यान्न की वैधानिक आवश्यकता उपलब्ध कराने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा, और जहां तक संभव हो, राज्य सरकार को सूखे से प्रभावित व्यक्तियों को दाल/दाल और

उचित खाना पकाने का माध्यम और आवश्यकता की अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए उचित उपाय करना चाहिए और यदि राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया जाता है तो भारत सरकार को इस अनुरोध पर करुणा से विचार करना चाहिए।

20. हम संविधान के अनुच्छेद 47 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे जो यह प्रावधान करता है कि लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक है।[47. पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य - राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपना कर्तव्य मानेगा। इसके प्राथमिक कर्तव्य और, विशेष रूप से, राज्य उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर। यद्यपि अनुच्छेद 47 एक निदेशक सिद्धांत होने के कारण प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी इस प्रावधान में राज्य सरकारों और भारत सरकार को राजी कर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करने के लिए पर्याप्त नैतिक बल और अधिकार है कि लोगों को विशेष रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में, खाद्यान्न और भोजन की तैयारी के लिए एक खाना बनाने का पर्याप्त माध्यम उपलब्ध कराया जाए।

21. इसी प्रकार, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न की पात्रता (एनएफएस अधिनियम के अनुसार) एक लक्ष्य है जिसे राज्य द्वारा विशेष रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द हासिल किया जाना चाहिए। वास्तव में, कानून हो या न हो और संसद द्वारा अधिनियमित कानून का क्रियान्वयन हो या न हो, राज्य को इसकी सराहना और एहसास करना चाहिए कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बिना किसी परेशानी के खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वैसे भी, सूखे के कारण ऐसे व्यक्तियों को मुख्य रूप से उनके नियंत्रण से परे कारणों से अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है और यदि भोजन की कमी होती है, तो यह उनके दुख और विपतियों को बढ़ाएगा यदि इसे गुणा न करें। एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य को इन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए और एनएफएस अधिनियम के जनादेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए हर तंत्रिका पर दबाव डालना चाहिए।

22. इस संदर्भ में, राज्य सरकारों के लिए सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी परिवार को क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं है आवश्यक खाद्यान्न से वंचित करना अनुचित होगा, हमें स्वराज अभियान के विद्वान वकील की इस दलील में दम नजर आता है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों जैसी गंभीर और आकस्मिक स्थितियों में, खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड की आवश्यकता को केवल एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता

माना जा सकता है और उस आवश्यकता को एक वैध पहचान पत्र या निवास का कोई उचित प्रमाण प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जो राज्य सरकारों में पदाधिकारियों को स्वीकार्य हो जिन्हें एसी स्थिति को खुले हाथों और बिना किसी सख्ती के समझने की आवश्यकता है।

23. हम भारत संघ की ओर से इस तर्क को खारिज करते हैं कि राजकोषीय बाधाएं या खाद्य सब्सिडी बिल में वृद्धि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में व्यक्तियों को राहत देने से इनकार करने का एक कारण हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र ने इसे वापस लेने के प्रयास के बारे में सोचने के लिए भी काफी दूरी तय की है।

24. नगर परिषद, रतलाम बनाम वर्दिचन [1980J 4 एससीसी 162] में इस न्यायालय ने यह विचार किया कि वित्तीय असमर्थता की दलील वैधानिक कर्तव्यों की अवहेलना का बहाना नहीं हो सकती। यह रिपोर्ट के पैराग्राफ 12 में माना गया था:

“वैधानिक व्यवस्था इस प्रकार स्पष्ट होने के कारण नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी से खुद को मुक्त नहीं कर सकती है। इसकी दलील यह नहीं है कि तथ्य गलत हैं, बल्कि यह है कि कानून सही नहीं है क्योंकि नगर निगम के फंड अपर्याप्त होने के कारण वह अधिनियम की धारा 123 के तहत कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता है। इस "बहाना" ने

हमें राज्य को नोटिस जारी करने के लिए मजबूर किया, जिसका प्रतिनिधित्व अब हमारे सामने वकील श्री गंभीर रहे हैं। नगर पालिका की यह दलील कि सार्वजनिक उपद्रव के बावजूद वित्तीय अक्षमता वैध रूप से उसे वैधानिक दायित्व से मुक्त कर देती है, का कोई न्यायिक आधार नहीं है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता वैधानिक निकायों और अन्य लोगों के खिलाफ उनके खजाने में नकदी की परवाह किए बिना काम करती है, यहां तक कि संविधान के भाग III के तहत मानवाधिकारों का बजटीय प्रावधान की परवाह किए बिना राज्य द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। इसी तरह, अधिनियम की धारा 123 में जब नगरपालिका परिषद गरीब हो तो इसका कोई बचत खंड नहीं है अन्यथा, एक फिजूलखर्ची वैधानिक निकाय या पचीडर्मिक सरकारी एजेंसी आत्म-रक्षा में स्व-निर्मित दिवालियापन या विकृत व्यय बजट का आग्रह करके कानून के तहत कर्तव्यों की कानूनी रूप से अवहेलना कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता।"

25. इसी तरह, खत्री (द्वितीय) बनाम बिहार राज्य [1981] 1 एससीसी 627] में इस न्यायालय ने एक गरीब व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के एक संवैधानिक दायित्व (वैधानिक दायित्व के

विपरीत) का उल्लेख किया था और रिपोर्ट की पैराग्राफ 5 में यह कहा गया था:

“राज्य की ओर से श्री केजी भगत ने सहमति व्यक्त की कि इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर राज्य एक गरीब आरोपी को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए बाध्य है, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि वित्तीय बाधाओं के कारण राज्य को ऐसा करना मुश्किल हो सकता है। हम बिहार राज्य को इंगित कर सकते हैं कि वह वित्तीय या प्रशासनिक असमर्थता का हवाला देकर किसी गरीब आरोपी को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के अपने संवैधानिक दायित्व से बच नहीं सकता है। राज्य एक आरोपी व्यक्ति जो गरीबी के कारण कानूनी सेवाएं प्राप्त करने में असमर्थ है को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक संवैधानिक जनादेश के तहत है और इस उद्देश्य के लिए जो भी आवश्यक है वह राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। राज्य की अपनी वित्तीय बाधाएँ और व्यय में अपनी प्राथमिकताएँ हो सकती हैं, लेकिन जैसा कि रेम बनाम मैल्कम में अदालत ने बताया है[377 F Supp 995], "कानून किसी भी सरकार को गरीबी की दलील पर अपने नागरिकों को संवैधानिक

अधिकारों से वंचित करने की अनुमति नहीं देता है" और जैक्सन बनाम बिशप में जस्टिस ब्लैकमुन के शब्दों को उद्धृत करने के लिए[404 F Supp 2d 571] "आजकल मानवीय विचारों और संवैधानिक आवश्यकताओं को डॉलर के आधार पर नहीं मापा जा सकता है।"

26. अंत में, पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में[(1996)4 एससीसी37] इस न्यायालय ने लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के एक और संवैधानिक दायित्व का उल्लेख किया और रिपोर्ट के पैराग्राफ 16 में इस प्रकार कहा:

“यह निस्संदेह सच है कि इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। लेकिन साथ ही इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। इस प्रयोजन के लिए जो भी आवश्यक हो वह करना होगा। एक गरीब आरोग्य को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के संवैधानिक दायित्व के संदर्भ में इस न्यायालय ने माना है कि राज्य वित्तीय बाधाओं के कारण इस संबंध में अपने संवैधानिक दायित्व से बच नहीं सकता है। [देखें: खत्री (द्वितीय) बनाम बिहार

राज्य] उक्त टिप्पणियां मानव जीवन को संरक्षित करने के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान करने के राज्य के संवैधानिक दायित्व के निर्वहन के मामले में, यदि अधिक नहीं, तो समान बल के साथ लागू होंगी। चिकित्सा सेवाओं के लिए धन आवंटन के मामले में राज्य के उक्त संवैधानिक दायित्व को ध्यान में रखना होगा। वैधानिक दायित्व और संवैधानिक दायित्व के बीच निस्संदेह अंतर है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि भोजन का अधिकार वास्तव में एक संवैधानिक अधिकार है, न कि केवल वैधानिक अधिकार। [उदाहरण के लिए देखें: शांतिस्टार बिल्डर्स बनाम नारायण खिमलाल टोटेम । [1990) 1 एससीसी 520] किसी भी स्थिति में, भले ही भोजन का अधिकार एक वैधानिक अधिकार हो, यह राज्य का दायित्व होगा कि वह हर संभव प्रयास करे और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जहां तक संभव हो, सभी को और विशेषकर सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध हो। इस पर शायद ही कोई विवाद हो। इस संदर्भ में, एनएफएस अधिनियम की प्रस्तावना को याद करना उचित होगा जिसमें कहा गया है कि यह मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में भोजन और पोषण सुरक्षा प्रदान करने वाला एक अधिनियम है जिसमें लोगों

को "गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए किफायती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाले भोजन की पहुंच सुनिश्चित की गई है और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए।"

27. जहां तक मध्याह्न भोजन के लिए अंडे या दूध के प्रावधान का सवाल है, इसमें कोई विवाद नहीं है कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों के लिए कैलोरी और पोषण संबंधी सामग्री निर्धारित की गई है। उस मानक को कैसे पूरा किया जाए यह प्रत्येक राज्य सरकार को तय करना है और इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है। दूध और अंडे के अलावा, अन्य पोषक तत्व भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जैसे चना या चना। हालाँकि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना के तहत न तो दूध और न ही अंडे या कुछ और उपलब्ध कराया जाता है। यहां तक कि जिन राज्यों से हम संबंधित हैं, वहां भी लाभार्थियों को दैनिक आधार पर या सप्ताह में 5 दिन अंडे या दूध उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, केवल छत्तीसगढ़ को छोड़कर जहां सप्ताह में 6 दिन अंडे उपलब्ध कराए जाते हैं। अंडे या दूध उपलब्ध कराने वाले अन्य राज्यों में, प्रावधान प्रति सप्ताह एक दिन से लेकर तीन दिन तक होता है।

28. इसमें कोई संदेह नहीं कर सकता कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और यदि उन्हें पर्याप्त पोषण प्रदान करने में कोई कंजूसी की जाती है, तो भविष्य में पूरा देश उनकी क्षमता का लाभ लेने से वंचित रह जाता है। इसलिए, भारत संघ द्वारा उल्लिखित कैलोरी और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को अधिकतम आवश्यकताओं के रूप में नहीं बल्कि केवल न्यूनतम आवश्यकताओं के रूप में माना जा सकता है।

29. जहाँ तक गर्मी की छुट्टियों के दौरान मध्याह्न भोजन योजना को बढ़ाने के प्रावधान का संबंध है, यह अफ़सोस की बात है कि वर्ष 2016-17 के लिए केवल तीन राज्यों, अर्थात् कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने भारत सरकार को विचार के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। क्या ऐसा है कि राज्य बच्चों और उनके परिवारों से अपेक्षा करते हैं कि वे गर्मी के महीनों के दौरान अपनी सुरक्षा स्वयं करें? महाराष्ट्र ने 2015-16 में भारत संघ को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और उसे प्रदर्शन मूल्यांकन बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 2016-17 के लिए महाराष्ट्र द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं बनाया गया है। क्या पिछले एक साल में महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति में सुधार हुआ है? हम नहीं जानते हैं। हमारे सामने कुछ सूखा प्रभावित राज्यों के संबंध में मध्याह्न भोजन योजना को ग्रीष्मकालीन अवकाश में न बढ़ाने का कोई कारण हमें नहीं बताया गया है, न ही इस संबंध में स्वराज अभियान द्वारा

विस्तार की प्रार्थना का कोई विरोध किया गया है। वास्तव में मध्याह्न भोजन योजना के लिए सितंबर 2006 के दिशानिर्देश अध्याय 5 (पैराग्राफ 5.1(4)(iii) में निम्नानुसार प्रदान किए गए हैं:

“यदि किसी क्षेत्र को 'सूखा प्रभावित' घोषित करने की अधिसूचना ऐसे समय में जारी की जाती है जब गर्मी की छुट्टियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं या शुरू होने वाली हैं, तो राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में केंद्रीय सहायता जारी होने की प्रत्याशा में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तदनुसार, हम मानते हैं कि हमारे सामने सूखा प्रभावित प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार (ऊपर उल्लिखित तीन राज्यों के अलावा) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों के लिए मध्याह्न भोजन योजना को अवकाश अवधि में बढ़ाने के खिलाफ नहीं है।”

दिशा-निर्देश

30. हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्षों व चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

1. हमारे समक्ष प्रत्येक राज्य एक आंतरिक शिकायत तंत्र स्थापित करेगा और आज से एक महीने के भीतर एनएफएस अधिनियम की धारा 14 और धारा 15 के अनुसार प्रत्येक जिले के लिए एक जिला शिकायत

निवारण अधिकारी की नियुक्ति या पदनाम करेगा, जब तक कि इन प्रावधानों का पहले से ही अनुपालन नहीं किया गया हो। उक्त अधिकारी राशन कार्ड के अभाव के कारण खाद्यान्न की आपूर्ति न होने से संबंधित शिकायतों का समाधान करने का भी हकदार होगा।

2. हमारे सामने प्रत्येक राज्य आज से दो महीने के भीतर धारा 16 के अनुसार एनएफएस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करने के उद्देश्य से एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगा, जब तक कि राज्य खाद्य आयोग का गठन पहले ही नहीं किया गया हो।

3. जिन राज्यों में सूखा घोषित किया गया है या भविष्य में घोषित किया जा सकता है, वहां सभी परिवारों को एनएफएस अधिनियम के अनुसार खाद्यान्न की मासिक पात्रता प्रदान की जानी चाहिए, भले ही वे प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणी में आते हों या नहीं। एनएफएस अधिनियम के तहत किया गया प्रावधान किसी अन्य सरकारी योजना के तहत किसी अन्य पात्रता के अतिरिक्त होगा न कि उसके अल्पीकरण में।

4. सूखा प्रभावित क्षेत्र में किसी भी परिवार को एनएफएस अधिनियम के तहत खाद्यान्न से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जाएगा क्योंकि उस परिवार के पास राशन कार्ड नहीं है। परिवार को राशन कार्ड रखने वाली आवश्यकता को उचित पहचान या निवास प्रमाण द्वारा प्रतिस्थापित करने का निर्देश दिया गया जो राज्य सरकार को स्वीकार्य हो।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि हमारे सामने प्रत्येक राज्य एनएफएस अधिनियम के तहत एक परिवार की पात्रता के अलावा कोई भी खाद्यान्न या अन्य वस्तुएँ प्रदान करने का पूरी तरह से हकदार है। इस संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है।

6. बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को आज से एक महीने के भीतर मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों के लिए अंडे या दूध या किसी अन्य पोषण विकल्प की आपूर्ति के लिए पर्याप्त प्रावधान करना होगा। अंडे, दूध या अन्य पोषण संबंधी विकल्प अधिमानतः सप्ताह में पांच दिन या सप्ताह में कम से कम तीन दिन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। हमारे सामने अन्य राज्यों को अंडे या दूध या किसी अन्य पोषण विकल्प की आपूर्ति के लिए समान प्रावधान करना चाहिए, अधिमानतः सप्ताह में पांच दिन या सप्ताह में कम से कम तीन दिन। इस देश के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, इस निर्देश का पालन न करने के लिए वित्तीय बाधाएं कोई बहाना नहीं होंगी। यह एक दुखद टिप्पणी है कि हमें यह कहना पडा लेकिन हमें अपने देश के बच्चों के हित में ऐसा करने की आवश्यकता है।

7. हमारे समक्ष राज्यों को स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों की अवधि के दौरान बच्चों के लाभ के लिए मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार करने का निर्देश दिया गया है, यदि अभी तक विस्तार नहीं किया गया है, तो आज से एक सप्ताह के भीतर का दिया जाता है। भारत संघ इन राज्य

सरकारों के परामर्श से ऐसे किसी भी प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी देगा। यह निर्देश सूखा प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों के हित में दिया जा रहा है।

31. हम उल्लेख कर सकते हैं कि भारत संघ आमतौर पर कार्यान्वयन मशीनरी स्थापित किए बिना एक कानून लागू कर देता है। यह इस तथ्य से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि एनएफएस अधिनियम के कई प्रावधानों को लागू करने के लिए तंत्र स्थापित या गठित नहीं किया गया है। यह पूरी तरह से समझ से बाहर है। हम यह समझने में असफल हैं कि संसद द्वारा अधिनियमित किसी कानून को कानून को सशक्त बनाने या कानून के प्रावधानों के अनुसार तंत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक नियमों और विनियमों को तैयार किए बिना कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है। शायद निष्पादन में यह देरी ही है जो कुछ राज्य सरकारों को इसे आसानी से लेने और कानून को सुविधा के अनुसार लागू करने में सक्षम बनाती है।

दिशा-निर्देश जारी किये गये।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी डॉ. सीमा अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।